न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।

विशेष वाद संख्या–93/2013

राज्य––– प्रति –––दीशान उर्फ आमीर।

अपराध संख्या–547/2013

धारा–8/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त दीशान उर्फ आमीर के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–8/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तथा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के तहत आरोप बनाये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–8/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप बनाकर उसे सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक–22.12.2021 को पेश हो। साक्षीगण तलब हो।

(अनिल कुमार वर्मा)

दिनांक–24.11.2021

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़.

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।

विशेष वाद संख्या–93/2013

राज्य––– प्रति –––दीशान उर्फ आमिर।

अपराध संख्या–547/2013

धारा–8/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं अनिल कुमार वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–08 आजमगढ़ आप अभियुक्त–दीशान उर्फ आमिर को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः– यह कि दिनांक–23.10.2013 समय करीब 6.10 ए.एम बजे, बहद स्थान जगदीशपुर पुलिया ग्राम जगदीशपुर व फासला 03 कि०मी० पूरब थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के पुलिस द्वारा आपके पहने हुए पैंट की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की थैली से नशीला पाउडर डायजापाम बरामद किया गया, जिसका वजन 500 ग्राम पाया गया। नशीला पाउडर डायजापाम रखने की कोई आज्ञाप्ति आपके पास नहीं थी। तद्द्वारा आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 8/20 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–24.11.2021

(अनिल कुमार वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की माँग की।

दिनांक–24.11.2021

(अनिल कुमार वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।